



न्यायालय:- विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण)
(अपर सेशन न्यायाधीश), रावतसर, जिला-हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी - राजन खत्री,
(RJS, DJ Cadre)
जमानत आवेदन सी.आई.एस. संख्या - 174/2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 135/2025, पुलिस थाना रावतसर

अपराध अंतर्गत धारा - 29 सपठित धारा 8/20, एन.डी.पी.एस. एक्ट

सतीश कुमार उर्फ सोनू पुत्र कृष्ण लाल सचदेवा, उम्र 45 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 03 राजीव कॉलोनी विजयनगर, पुलिस थाना विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर, हाल किराया का मकान गोलूवाला, पुलिस थाना गोलूवाला, जिला हनुमानगढ़।

-- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए विशिष्ट लोक अभियोजक, रावतसर।

--अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भा0 ना0 सु0 सं0

उपस्थिति:-

01. श्री गजेन्द्र सिंह नरुका, अधिवक्ता -प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
02. श्री उमेश कुमार शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

- आदेश-

दिनांक:- 29-06-2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483, भा0 ना0 सु0 सं0 इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, जिसकी नकल विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई। बहस सुनी गई।
2. जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया ऐसा कोई अपराध बनना नहीं पाया जाता है, जिसमें सजा का प्रावधान आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड हो। मुकदमा हाजा की सुनवाई में लम्बा समय लगेगा। उक्त प्रकरण में मुख्य आरोपी का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी के जमानत पर रिहा होने से भागने व गवाहान पर प्रभाव डालने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी गिरफ्तारी के समय से



न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी के न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके सामाजिक व पारिवारिक जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। प्रार्थी परिवार में अकेला कमाने वाला है। प्रार्थी के न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार का भरण-पोषण नहीं हो सकेगा। प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अपनी मौतबीर जमानत पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

3. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है, इसलिए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।
4. उभय पक्षकारान के उक्त तर्कों पर विचार किया गया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
5. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 08-03-2025 को वक्त 09.50 पी.एम. पर रावतसर बस स्टैंड के पीछे वाली गली आम से अभियुक्त सुभाष के कब्जेशुदा बैग/थैला से कुल 10.064 किलोग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया, जिसे रखने का उसके पास कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं था, आदि तथ्यों की फर्द बरामदगी के आधार पर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर अनुसंधान जारी है। अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है-

Sr. No.	FIR No. & Police Station	Under Section	Status
1-	236/20, पुलिस थाना विजयनगर	8/20, एन.डी.पी.एस. एक्ट	पैडिंग कोर्ट
2-	481/24, पुलिस थाना सुरतगढ़ शहर	8/20, एन.डी.पी.एस. एक्ट	पैडिंग कोर्ट
3-	471/24, पुलिस थाना सुरतगढ़ शहर	8/20, एन.डी.पी.एस. एक्ट	पैडिंग कोर्ट

6. उभयपक्षों के तथ्यों के प्रकाश में केस डायरी का अवलोकन किये जाने पर यह जाहिर होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस ने अब तक अपने अनुसंधान में धारा 29 सपठित धारा 8/20, एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध प्रमाणित माना है। प्रकरण में अन्य अभियुक्त सुभाष के कब्जे से कुल 10 किलो 64 ग्राम गांजा बरामद



किए जाने का तथ्य प्रथमदृष्ट्या प्रकट आया है। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में तीन प्रकरण दर्ज हैं, परन्तु दोषसिद्धि बाबत रिकॉर्ड अभिलेख पर नहीं है तथा प्रकरण में सह-अभियुक्त सुभाष की जमानत याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4615/2025 के आदेश के जरिये स्वीकार की जा चुकी है तथा प्रार्थी/ अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी / अभियुक्त लगातार दिनांक 17-06-2026 से पुलिस /न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना उक्त प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

- आदेश -

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **सतीश कुमार** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483, भा0 ना0 सु0 सं0 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **₹50,000/-** रुपये का स्वयं का मुचलका व **₹25,000-₹25,000/-** की 2 सुदृढ़ जमानतें इस न्यायालय के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे कि वह आदेशानुसार नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष हाजिर होता रहेगा, किसी प्रकार के कोई अपराध नहीं करेगा एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा तो अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जाए।

(राजन खत्री)

8. आदेश आज दिनांक 29-06-2026 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(राजन खत्री)